

राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राठौड़ ने कहा, यह जन्म दिन का उत्सव नहीं, प्रधानमंत्री के आह्वान के संकल्प का समागम है

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ईआरसीपी, गंग नहर तथा यमुना समझौता- सभी के कार्य ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

चूरू / जयपुर, 21 अप्रैल। चूरू जिले के पुलिस लाइन मैदान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित “संकल्प दिवस समारोह” में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजनीति जगता के कल्याणकारी कार्यों से होती है। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन राजनीति में एक मिसाल है। उनके जन्मदिन पर “एक पेड़ माँ के नाम” का संकल्प कार्यकर्ताओं व आमजन के द्वारा लेना एक अनुकरणीय प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में पानी के लिए कार्य किया है। चाहे ईआरसीपी हो, गंग नहर हो या यमुना समझौता हो, सभी कार्य ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब हरियाणा में चुनाव आया तो वहां की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान से यमुना का समझौता हम रद्द कर देंगे। उस घोषणा पत्र को जारी करते समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के जन्म दिवस पर चूरू में आयोजित “संकल्प दिवस समारोह” को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन राजनीति में एक मिसाल है।

कहा कि यह आयोजन इस बार भी जन्मदिन उत्सव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के संकल्प का समागम है। इसी को लेकर कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक वर्ष में 100 पेड़ लगाने, शेखावाटी में सामाजिक बुराई बाल विवाह व श्रृण हत्या को रोकने,गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने प्राकृतिक जल स्रोतों, जोहड़, बावड़ी, जो गांव में बनी

हैं, उसके संरक्षण का और बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया। राठौड़ ने कहा, उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष संकल्प दिवस के रूप में समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत व

गौतम दक , हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडीमंत्री रणवीर गंगवा जी,हिसार के नलवा से विधायक रणधीर पनिहार , चूरू विधायक हरलाल सहारण , डींग-कुम्हर विधायक डॉ.शैलेश सिंह , नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा , चूरू लोकसभा से पश्चिमभूषण देवेंद्र झाझड़िया , पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

पोप फ्रांसिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सात बजकर 3.5 मिनट पर कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे।पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वह पांच हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती थे।

इलाज के दौरान कैथलिक चर्च के हेडक्वार्टर, वैंटिकन ने बताया था कि पोप की रक्त जांच रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। साथ ही रक्त में प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। चौदह मार्च को हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी।सत्रह दिसंबर 1936 को जन्मे पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक जेसुइट पादरी थे। वे 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। उन्हें पोप बेनेडिक्ट सोलहवें का उत्तराधिकारी चुना गया था। पोप फ्रांसिस बीते 1000 साल में पहले ऐसे ईसान थे जो गैर-यूरोपीय होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे।

गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गौर फरमाने योग्य है कि कोविड महामारी के दौरान एस.डी.आर.एफ. के उपयोग से मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी धांधली का पुख्ता प्रमाण इन प्रकाशित दस्तावेजों में देखा जा सकता है, जहां एस.एम.एस. अस्पताल में मात्र साढ़े नौ लाख रुपये में एक वैंटिलेटर की खरीद की जा रही थी और केवल 5 प्रतिशत जी.एस.टी.दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में 1एक वैंटिलेटर 16 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का खरीदा गया, कुल 11 वैंटीलेटर खरीदे गए और इन पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी लगा, यानि 200 प्रतिशत से भी अधिक कीमत दी गई।

इस पूरे प्रकरण में एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस पी मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं कि उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों के मेडिकल कॉलेजों से उनकी जरूरत अनुसार मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये प्रस्ताव क्यों नहीं मांगे। और फिर एक साथ “बल्क” में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये आदेश क्यों नहीं जारी किये गये, जिससे उन्हें किफायती दरों पर अच्छे मेडिकल उपकरण मिल जाते, परंतु गहलोत सरकार के अधिकारियों ने इस नीति को ना अपनाते हुए अलग-अलग अस्पतालों में गैर कानूरी तरीके से बने आई.सी.यू. के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद के अलग-अलग आदेश दिये, जिनमें भारी धांधली की गई और मित्र कंपनियों को खुश रखने के लिये भारी दरों पर जी.एस.टी. का भुगतान किया गया।

पाठकों को बता दें कि एस.डी.आर. एफ. राज्य सरकार को हर वर्ष केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के दिये गये फंड में प्रदेश में अफसरों की मदद से डेफरेंसी की गई, इसलिये उचित यही है कि इस घोटाले की जांच भी केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ही करें।

SUMITRA ENTERPRISES		
Bhadasiya Fruit and Vegetable Market, Opp G.S.S. Bhadasiya, JODHPUR342016 sumitraenterprises0291@gmail.com. Contact No. 9460957429		
List of equipment and other part of supply order no 902 Dt. 10/08/2021		
S.No.	Equipments Name	Qty Amount
1	X ray view Box	3 33,000.00
2	Biphasic defibrillator	3 7,86,000.00
3	ECHO Machine	1 24,00,000.00
4	USG 4 D colour Doppler	1 25,00,000.00
5	Portable X ray	2 9,60,000.00
6	Bipap Machine	5 5,25,000.00
7	ICU beds with mattress	50 48,68,000.00
8	Multipara monitor with	50 95,90,000.00
9	Syringe pump	50 24,60,000.00
10	Transport Ventilator	2 9,60,000.00
11	ABG Machine	3 27,30,000.00
12	POC Analyzer	3 6,75,000.00
13	ICU Ventilator	1 1,77,80,000.00
14	Video laryngoscope	3 5,70,000.00
15	ICU Resuscitator Kit	5 14,00,000.00
16	ICU Decontamination System	5 15,75,000.00
17	Air way clearance system	3 26,90,000.00
18	Crash Cart	7 2,34,000.00
19	Bed Side Cardiac Table	50 1,75,000.00
20	Bed Side Locker	50 1,60,000.00
21	Attendant Table	50 75,000.00
22	Medicine Trolley	3 41,500.00
23	Patient Stretcher	3 38,000.00
24	Suction Machine	4 88,000.00
25	ECG Machine	2 2,08,000.00
26	Almirah	3 36,000.00
27	Big Capacity Fridge	3 65,000.00
28	Wall mounted shelves	3 30,000.00
29	Cup Board	3 48,000.00
30	Curtains	As per Site Requirement 5,40,000.00

For SUMITRA ENTERPRISES For SUPPLY		
31	Table for Nursing work station	3 9000.00
32	Change Locker	3 42,000.00
33	Shoe Racks	5 32,000.00
34	Comer Table	5 19,500.00
35	White Marker Board	3 38800.00
36	CCTV	As per site 3000.00
37	Bougie	2 42,000.00
38	Furniture for ICU (Chair, Bed, Table)	1 Each 5,41,40,800.00
39	Total Value of Equipment	1,98,91,200.00
40	MGPS & Construction Part	7,40,32,000.00
41	Total Value of 50 Bedded ICU on Turn Key	

For SUMITRA ENTERPRISES Proprietor

प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित दस्तावेज नम्बर (1) में देखा जा सकता है कि एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में क्रय समिति ने लगभग नौ लाख रुपये की दर से आठ आई.सी.यू. वैंटिलेटर खरीदे। वहीं अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित सुमित्रा एन्टरप्राइजेज के सम्पूर्ण बिल (एन्ट्री नं. 13) में देखा जा सकता है, कि बीकानेर में 11 वैंटिलेटर लगभग 16 लाख रुपये की दर से खरीदे गये। जिससे साफ जाहिर है कि इन मेडिकल कॉलेजों की क्रय समिति में कार्यरत सरकारी वित्त सलाहकारों ने अलग-अलग दरों पर वैंटिलेटर खरीदे जबकि उन्हें प्रदेश में सभी अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए वैंटिलेटरों की “बल्क” में खरीद के आदेश देने चाहिये थे, जिससे उन्हें किफायती दर मिलती।

‘वैस की भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भिन्न आर्थिक लक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ अमेरिका अपने व्यापार के उत्थान के लिये टैरिफ का उपयोग हथियार के रूप में कर रहा है, वहीं भारत का फोकस अपने उद्योगों के संरक्षण पर तथा नियमाधारित निष्पक्ष व्यापार करने पर बना हुआ है।

वांग ने कहा कि वैस भले ही भारत को चीन के महींगे होते जा रहे आयातों के संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हों, लेकिन भारत की वर्तमान सप्लाई चेन क्षमताएँ चीन की क्षमता और निपुणता एवं कुशलता की बराबरी नहीं कर सकती। इसके अलावा, भारत से आयातों को बढ़ाना अमेरिका के उन प्रयासों के प्रतिकूल रहेगा, जो अमेरिका व्यापार घाटा कम करने तथा उद्योगों को अपने देश में लाने की दिशा में कर रहा है। उन्होंने वैस के उपरोक्त संभावित प्रयासों को अन्तर्विरोधी बताया।

चीनी विशेषज्ञों ने भारत को सचेत किया है कि वह व्यापारिक प्रस्तावों के पर्दे में छिपे वॉशिंगटन के “अमेरिका फस्ट” के सिद्धांत के प्रति सजग एवं चौकन्ना रहे। कियान ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि भारत का सर्वोत्तम हित अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने और बनाये रखने में तथा अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करने में तथा उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में निहित है, जो खुले और बराबरी के व्यापार के लिये ईमानदारी के साथ संकल्पित है।

सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्कर नाज़िम खान की जमानत रद्द की

जयपुर, 21 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्करी से जुड़े मामले में, आरोपी व आदतन अपराधी नाज़िम खान को 21 अक्टूबर 2024 को दी गयी जमानत के आदेश को वापस लेकर उसकी जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

मामले से जुड़े राज्य सरकार के एग्जी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च अदालत ने 21 फरवरी को इस मामले में यूपी सरकार को पक्षकार बनाते हुए, उसे निर्देश दिया था कि वह आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी पेंडिंग केसों की लिस्ट व उसकी फरारी के संबंध में रिपोर्ट पेश करे। वहीं, आरोपी नाज़िम खान को भी शपथ पत्र पेश कर उसके खिलाफ पेंडिंग केसों का ब्यौरा देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में राज्य सरकार की लापरवाही और किसी के उपस्थित नहीं होने के चलते, 21 अक्टूबर, 2024 को आरोपी को जमानत दे दी गयी थी। राज्य सरकार ने जमानत आदेश को वापस लेने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। राज्य सरकार का

■ अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

कहना था कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम, गोवध कानून और हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से वह 5 मामलों में भगोड़ा घोषित हो चुका है और उसके गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा केस में भी वह तीन साल से फरार था और अप्रैल 2024 में उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहां पर भी वह गौ तस्करी केस में ही बंद था। इसलिए आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाए। आरोपी के खिलाफ करौली जिले के नौदौती में 13 फरवरी 2021 को गौ तस्करी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इसमें कहा गया था कि एक कंटेनर में वह गौवंश की तस्करी कर रहा था।

जयपुर कलैक्टर हाउसिंग बोर्ड से हर्जाना वसूल करें

जयपुर, 21 अप्रैल। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने जयपुर कलेक्टर को कहा है कि वे एक प्रकरण में आवासन मंडल पर लगाए गए हर्जाने की वसूली कर आयोग को उसकी जानकारी पेश करें। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना ने यह आदेश पीबी जैन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परिवारी ने सिरोही में आवास आवंटित करने के लिए साल 1983 में आवासन मंडल में पंजीयन राशि जमा करवा कर पंजीकरण कराया था। अगले साल मंडल ने आवेदन कम होने का हवाला देकर पंजीयन राशि वापस लेने को कहा। इसके बाद,

■ जिला उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को परिवारी के रुपये वापस करने के साथ 3.10 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा था।

परिवारी ने उसका पंजीकरण सिरोही से भीलवाड़ा शिफ्ट करने के लिए शुल्क सहित प्रार्थना पत्र दिया। परिवार में कहा गया कि आवासन मंडल के अलग-अलग कार्यालय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन उसे भीलवाड़ा में आवास आवंटित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र

में कहा गया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 21 सितंबर, 2009 को आवासन मंडल को निर्देश दिए थे कि वह मई, 1996 की लागत से परिवारी को भीलवाड़ा में एमआईजी का आवास आवंटित करें। आवास उपलब्ध नहीं होने पर परिवारी को दस लाख रुपए अदा करने को कहा गया था। इसके अलावा, आयोग ने मंडल पर 3.10 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया था। आदेश की पालना नहीं होने पर, परिवारी ने आयोग में वसूली प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना की गुहार की। मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग ने जिला कलेक्टर को वसूली कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



धरती ही हमारा धन

इसका करें संरक्षण

पृथ्वी दिवस

22 अप्रैल, 2025

आइये , इस अवसर पर हम सब मिलकर भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण को प्रदूषण मुक्त करें,अपने आसपास स्वच्छता रखें एवं धरती को हरा-भरा, सुंदर बनाने का संकल्प लें।

पर्यावरण विभाग, राजस्थान